



सहायक सांख्यिकी अधिकारी

Assistant Statistical Officer
(ASO)

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 2

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक
समीक्षा

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक समीक्षा

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में बैंकिंग का इतिहास	1
2.	भारत में बैंकिंग संरचना	6
3.	भारतीय वित्तीय तंत्र	46
4.	भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार	49
5.	मौद्रिक एवं साख नीति	56
अर्थव्यवस्था		
6.	अर्थव्यवस्था	61
7.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	62
8.	राष्ट्रीय आय	69
9.	मुद्रास्फीति (Inflation)	87
10.	विभिन्न बाजारों के अन्तर्गत कीमत निर्धारण	105
11.	उपभोक्ता की माँग तथा माँग का नियम	114
12.	निर्धनता/गरीबी (Poverty)	137
13.	राजस्थान आर्थिक-समीक्षा 2020-21	143
14.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	145
15.	औद्योगिक विकास	148
16.	आधारभूत संरचना का विकास	149

भारत में बैंकिंग संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। यह जैसे कुछ केन्द्रीय बैंकों में से है जिन्होंने अपनी संस्था का इतिहास लिखा। अब तक, बैंक ने अपने इतिहास के चार खंड प्रकाशित किए हैं। 1935 से 1951 तक की अवधि के लिए पहला खंड 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए की गई पहल का विवरण दिया है और इसमें रिजर्व बैंक के प्रारंभिक वर्ष शामिल हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद के दौर की उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना रिजर्व बैंक और सरकार को करना पड़ा।

1951 से 1967 की अवधि से सम्बन्धित दूसरा खंड 1998 में प्रकाशित किया गया था। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को मजबूत, संशोधित और विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

18 मार्च, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया जो 1967 से 1981 तक की अवधि से सम्बन्धित है। 1969 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे देश के भीतरी इलाकों में बैंकिंग का प्रसार किया।

17 अगस्त 2013 को रिजर्व बैंक के इतिहास के चौथे खंड का विमोचन भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इसमें 1981 से 1997 तक के 16 साल की घटनाओं का उल्लेख है और इसे दो भागों, भाग ए और भाग बी में प्रकाशित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में

स्थापना

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।

रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानान्तरित किया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं।

यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं –

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचारित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना”

केन्द्रीय बोर्ड – रिजर्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

- नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है।
- **गठन** –
 - सरकारी निदेशक
 - पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
- **गैर-सरकारी निदेशक**
 - सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
 - अन्य : चार निदेशक – चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक

स्थानीय बोर्ड

- देश के चार क्षेत्रों, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक-एक
- सदस्यता
- प्रत्येक में पांच सदस्य
- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त
- चार वर्ष की अवधि के लिए

कार्य – स्थानीय मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।

वित्तीय पर्यवेक्षण

रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवम्बर 1994 में की गई थी।

उद्देश्य

वित्तीय पर्यवेक्षण (बीएफएस) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।

गठन

इस बोर्ड का गठन केन्द्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को सहयोजित सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष है। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य है। एक उप गवर्नर, सामान्यतः बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर की बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

बीएफएस की बैठकें

बोर्ड की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार किया जाता है।

लेखा-परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सांविधिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उप लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष उप गवर्नर और केन्द्रीय बोर्ड के दो निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) और वित्तीय संस्था प्रभाग (एफआईडी) के कार्य-कलापों का निरीक्षण करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी मामलों पर निर्देश जारी करता है।

कार्य

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किये गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्रचना
- कार्यस्थल से दूर की निगरानी का लागू करना,
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ करना और
- पर्यवेक्षण संस्थानों की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढीकरण।

वर्तमान लक्ष्य

- वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण
- समेकित लेखाकार्य
- बैंक धोखधडी से सम्बन्धित कानूरी मामले
- अनर्जक अस्तियों के निर्धारण में विविधता
- बैंकों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल

विधिक ढांचा

सर्वोच्च अधिनियम

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 : रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है।
- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 : वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है।

विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम

- लोक ऋण अधिनियम, 1944 / सरकारी प्रतिभूति अधिनियम (प्रस्तावित) : सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण
- भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 : मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 / विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 : व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण

बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 : कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1080 : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित
- बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
- बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

अलग-अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1954
- औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003
- औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम
- निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम

प्रमुख कार्य

मौद्रिक प्राधिकारी

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- उद्देश्य – विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

वित्तीय प्रणाली का विनियामक पर्यवेक्षक

- बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- उद्देश्य – प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य – विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना।

मुद्रा जारीकर्ता

- करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है।
- उद्देश्य – आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनत्मक कार्य करना।

सम्बन्धित कार्य

- सरकार का बैंकर : केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
- बैंकों के लिए बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।

कार्यालय

- 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 04 उप कार्यालय है जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है।

प्रशिक्षण संस्थान

पांच प्रशिक्षण संस्थाएं है –

- दो संस्थाएं नामतः कृषि बैंकिंग महाविद्यालय रिजर्व बैंक के अंक है।
- अन्य स्वायत्त संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी)

प्रशिक्षण संस्थाओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया उनके वेबसाइट लिंक देखें जो अन्य लिंकों में उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- सन् 1925–26 ई. में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने सरकार को बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए।
- इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया जिसकी स्थापना सन् 1921 ई. में गयी थी, पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक-का-कार्य नहीं कर रहा था। नोट छापने का अधिकार सरकार-को-था. और बैंकों के बैंक (Banker's Bank) की हैसियत-सैं इम्पीरियल बैंक ही कार्य करता था।
- इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करता था। अतएव अन्य को इस पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसे केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं था।
- इम्पीरियल बैंक के लिए संभव नहीं था कि वह केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के साथ-साथ साधारण बैंकिंग के कार्य भी कर सके। इसका संचालन-मण्डल यह मानने को तैयार नहीं था कि इम्पीरियल बैंक साधारण बैंकिंग-कार्य को छोड़ दे।
- मुद्रा तथा साख पर सरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण दोषपूर्ण था और इसके लिए केन्द्रीय बैंक का होना अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी अनुभव किया कि एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सन् 1934 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार अप्रैल, 1935 ई. को रिजर्व बैंक ने अंशधारियों के बैंक के रूप में अपनाकार्य शुरू किया।
- 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया।
- आर. बी. आई. की स्थापना 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। इसमें भारत सरकार का शेयर 5 प्रतिशत था और शेयर पूंजी 5 करोड़ (जोकि अब तक है) की थी।
- यह बैंक वास्तविक तौर पर उस समय के बेहतर विदेशी केन्द्रीय बैंकों के मॉडल पर शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये का 100 रुपये मूल्य के 5 लाख के शेयरों में बांटा गया।
- प्रारम्भ में, केन्द्रीय सरकार को आवंटित 2,200 शेयरों को छोड़कर बाकी शेष सभी निजी शेयर धारकों के थे।
- फरवरी 1947 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप) अधिनियम 1948 के अनुसार सम्पूर्ण शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित मान ली गयी।
- 1 जनवरी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का संस्थान हो गया। 1948 का अधिनियम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनता के हित के लिए इस बैंक को निर्देश दे सकती है।
- भारत में अक्टूबर से मई तक का समय व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल होता है और इस समय मुद्रा की माँग अधिक होती है। रिजर्व बैंक इस अवधि में मुद्रा के प्रचलन की मात्रा को बढ़ाता है। मई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी होती है, क्योंकि यह व्यापार में कमी का काल होता है। इस मंदी काल में रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा में कमी करता है।

- जून, 1948 तक RBI ने पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था।
- 4 जनवरी, 1935 : भारतीय रिजर्व बैंक के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की पहली बैठक कोलकाता में हुई।
- 1 अप्रैल 1935 : शेयर धारकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। सर ओसबोर्न एस. स्मिथ (Sir Osborne S. Smith) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरंभ में “बैंक कुछ विभागों के साथ शुरू हुआ जैसे— नोटों का निर्गमन, बैंकिंग कृषि साख विभाग, लोक ऋण कार्यालय, जमा खाता और शेयर हस्तांतरण विभाग।
- 18 मार्च 1937 : आर. बी. आई ने बर्मा सरकार के बैंक के रूप में कार्य किया और 18 मार्च का बर्मा मौद्रिक प्रबंध आदेश 1937 के अनुसार बर्मा में नोट भी जारी किया।
- दिसम्बर 1937 : रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से बम्बई हस्तान्तरित किया गया।
- जनवरी 1938 : रिजर्व बैंक ने अपने करेंसी नोट जारी किये।
- 12 जनवरी, 1946 : ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के बैंक नोट को **demonetize** किया गया
- जनवरी 1947 : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- मार्च 1947 : विदेशी मुद्रा विनियम एक्ट 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) पास हुआ।
- 31 मार्च, 1947 : भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।
- RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम-से-कम 40: प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है तथा इसमें से 18% भाग बैंकों से कृषि को उपलब्ध कराना होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं उनके विरुद्ध RBI उचित कार्यवाही भी कर सकता है। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)

भारतीय स्टेट बैंक के उदय की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन वर्ष बाद इस बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और उसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूँजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के उपरान्त बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई, 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी, 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक का उदय (Rise of State Bank of India)

भारतीय स्टेट बैंक का अभ्युदय 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीकरण के फलस्वरूप हुआ। अगस्त 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीकरण किया गया।

1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुशंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के सात सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध किए गए 7 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का अनुशंगी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक निम्नवत् हैं—

बैंक का नाम	सहायक बैंक के रूप में कार्य आरंभ करने की तिथि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1 अक्टूबर, 1959
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1 मई, 1960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल, 1960
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च, 1960
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी, 1960

सहायक बैंकों के रूप में इन बैंकों का पृथक अस्तित्व बनाय रखने का एकमात्र कारण 'अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति' ही था। 1 जनवरी, 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है। इस तिथि से स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की संख्या सात ही रह गई।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन (Management of State Bank of India)

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष तथा 2 प्रबंध निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते हैं इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से करती है। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 6 सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य (Operations Perform By State Bank of India)

स्टेट बैंक क प्रमुख कार्य निम्नलिखित है—

1. **बैंकों के बैंक के रूप में कार्य**— बैंकों के बैंक के रूप में स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य करता है—
 - यह व्यापारिक बैंकों से जमाएँ स्वीकार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है।
 - यह व्यापारिक बैंकों क बिलों की पुनर्कटौती करता है
 - यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है।
2. **रिजर्व बैंक का एजेण्ट (Agent of Reserve Bank)**

रिजर्व बैंक की अनुमति से स्टेट बैंक उसके एजेण्ट का कार्य कर सकता है। एजेण्ट के रूप में यह रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित कार्य करता है उसके लिए वह कमीशन भी प्राप्त करता है। यह उल्लेखनीय हैं कि स्टेट बैंक अपने स्थापना के वर्ष (1955) से ही रिजर्व बैंक के एजेण्ट का कार्य कर रहा हैं।
3. **ऋण देना (Lending)**

स्टेट बैंक का दूसरा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य व्यापारियों का अल्पकालीन ऋण देना है। ये ऋण सामान्यतः माल, सम्पत्तियों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर— नकद साख द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा तथा हुण्डियों द्वारा दिये जाते हैं।
4. **जमाएँ स्वीकार करना (Accept Deposits)**

स्टेट बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भाँति जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएँ स्वीकार करता हैं। अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी चालू खाता, स्थायी जमा खाता, संचिति खाता, बचत खाता आदि खाते खोलकर जनता की जमाओं को आकर्षित करता है। इनके द्वारा भी व्यापारिक बैंकों की भाँति ब्याज दिया जाता है।
5. **ग्रामीण साख का विकास (Development of Rural Credit)**

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण साख के विभिन्न अंगों का विकास करना है। अतः यह बैंक सहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयत्न करता है।
6. **ग्रामीण बचत का संग्रह करना (Collecting Rural Savings)**

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएँ खोलकर उनकी बचतों का संग्रह करना है तथा ग्रामीण जनता में बचत करने की भावना को प्रेरित करना हैं।
7. **अगिगोपन (Preferentiality)**

स्टेट बैंक द्वारा अंशों, ऋण—पत्रों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का अभिगापन किया जा सकता है।
8. **सम्पत्ति की सुरक्षा (Security Of Assets)**

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएँ (अंश, ऋण—पत्र, सोना, जेबर आदि) सुरक्षागृह में रखने की व्यवस्था कर सकता हैं।

9. ग्राहक के एजेण्ट के रूप में कार्य (Work as Customers Agent)

स्टेट बैंक अपने ग्राहक के एजेण्ट के रूप में धन का हस्तान्तरण, भुगतानप्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रस्टी का कार्य करना, ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना आदि अनेक कार्य करता है।

10. प्रतिभूतियों में विनियोजन (Appropriation in Securities)

अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक अपने कोष का सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेशन की प्रतिभूतियों तथा सरकारी ट्रेजरी में भी विनियोग करता है।

11. रकमों की वसूली (Recovery of Assests)

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा-पत्र, ऋण-पत्र, अंश आदि की रकमों वसूल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है।

12. साख-पत्रों को जारी करता तथा धन स्थातात्तरण सुविधा (Issuance of Letter of Credit and Money Transfer Facility)

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी-विदेशी ड्राफ्ट, साख-पत्र आदि लिख सकता है और तार द्वारा रकमों भेजने का प्रबन्ध कर सकता है।

13. अन्य कार्य (Other Work)

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्टेट बैंक निम्नलिखित सामान्य बैंकिंग के कार्य भी करता है – भी करता है— (1) सोने व चाँदी का क्रय करना, (2) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, (3) यात्री चेक जारी करना (4) लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना, (5) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना, (6) प्रन्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, (7) भारत के बाहर शोधनीय विनिमय-पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट आदि।

14. बिल (Bill)

स्टेट बैंक बिल लिखने, स्वीकार करने, खरीदने बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा (Life Insurance) कारोबार में पहले से ही संलग्न है। जीवन बीमा कारोबार के लिए फ्रांस की कार्डिफ एस. ए. (Cardif S.A.) के साथ गठबन्धन कर एसबीआई लाइफ (SBI Life) नाम से अपनी अनुशंगी कम्पनी का गठन 2001 में इसने किया था। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक था। स्टेट बैंक की एसबीआईलाइफ में 74 प्रतिशत शेयर-पूँजी है।
- वर्तमान में स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका है यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक है जिसे नाबार्ड (NABARD) ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आवास निर्माण की एक अभिनय योजना— 'सहयोग निवास' भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारम्भ की है।
- ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई, 2010 को अपने स्थापना दिवस पर 'ग्रीन बैंकिंग चौतल' सुविधा अपनी चुनिंदा शाखाओं में शुरू की है। 'ग्रीन चैनल काउण्टर पर बैंक के ग्राहक धन जमा करने (Deposit) एवं धनकी निकासी (Withdrawals) की 'पेपरलैस' सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks)

आईडीबीआई बैंक (IDBI BANK)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : जुलाई, 1964

मुख्यालय (The Headquarters) : मुंबई

- आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक हैं जो एक श्रेष्ठ कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफार्म का प्रयोग कर रहा है। यह बैंक देश भर के विभिन्न केन्द्रों में फैली अपनी कई शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय समाधान प्रदान करता है। आईडीबीआई ने दुबई में भी अपनी विदेशी शाखा खोली है तथा वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेश में और भी शाखाएँ खोलने की इसकी योजना है।

इसका वित्तीय बाजारों का अनुभव इसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।

संकल्प (Oath)

सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना।

ध्येय (The Goal)

- अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक श्रृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना।
- कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना।
- नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना।
- कारोबार कार्य कुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना।
- कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्ध मानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सक्रिय एवं कार्य-निष्पादन आधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- विश्व स्तर पर पहुँच को बढ़ाना।
- हरित संरक्षी बनने के लिए निरंतर प्रयास करना।

आईडीबीआई के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

(Information Regarding IDBI Bank Formation)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank Of India)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून, 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय का अर्थ

- एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है ।

जैसे – गेहूँ → 100 → 150 → 200 → 300 → 350 → अंतिम मूल्य → राष्ट्रीय आय
 कीमत मंडी थोक व्यापारी उपभोक्ता

नोट – राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

नोट – राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने हेतु उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। (मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है।)

नोट – राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक प्रवाह (Flow) अवधारणा है, जो चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल करती है। (Stock में रखी गई वस्तु को मूल्य की गणना में शामिल नहीं करती है।)

जैसे – 100 → 80 → 20
 वस्तुओं का विक्रय स्टॉक
 उत्पादन
 (वर्ष के दौरान)

उदाहरण – राष्ट्रीय आय धारणा है—

- प्रवाह धारणा
- स्टॉक धारणा
- a व b दोनों
- इनमें से कोई नहीं

उत्तर – a

राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

- जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग-अलग विचारों, धारणाओं व मतों से अध्ययन किया जाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ कहा जाता है, जो निम्न है –
- जो निम्न है—
 - सकल घरेलू उत्पाद → Gross Domestic Product (GDP)
 - सकल राष्ट्रीय उत्पाद → Gross National Product (GNP)
 - शुद्ध घरेलू उत्पाद → Net Domestic Product (NDP)
 - शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद → Net National Product (NNP)
 - प्रति व्यक्ति आय → Per Capita Income (PCI)
 - खर्च योग्य व्यक्तिगत आय

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

नोट: सकल घरेलू उत्पाद का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से हैं, नागरिकों से नहीं।

जैस – Make in India, FOI

नोट: सकल घरेलू उत्पाद में 2 मदों को सम्मिलित किया जाता है।

- देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन
- विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

नोट – किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रगति का सूचक सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना जाता है।

उदाहरण – देश के आर्थिक विकास का सूचक है –

- चालू मूल्यों पर GDP
- स्थिर मूल्यों पर GDP
- चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय PCI
- स्थिर मूल्यों पर PCI

उत्तर – b

नोट – वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के तहत बताया गया है कि यदि देश की आर्थिक वृद्धि दर प्रतिवर्ष 7% रहती है, तो वर्ष 2024 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

2020–21 → GDP → 7.3%

जनवरी–मार्च, 2021 → 1.6% वृद्धि

उदाहरण – निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद की राशि ज्ञात करें –

- भारतीय कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 10,000/– GDP
- विदेशी कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 20,000/– GDP
- भारतीय कम्पनी की विदेशी शाखा से प्राप्त आय = ₹ 3,000/–
- भारतीय राजदूतों द्वारा अमेरिका में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 30,000/– GDP
- अमेरिकी राजदूतों द्वारा भारत में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 15,000/–

हल – GDP = 10,000 + 20,000 + 30,000 = ₹ 60,000/–

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है।

$$GNP = GDP + X - M$$

X = देश के नागरिकों द्वारा विदेशी उत्पादन

M = विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन


नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध देश के नागरिकों से है, भौगोलिक सीमा से नहीं।

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 मदों को शामिल किया जाता है –

- (i). देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन
GNP \rightarrow GDP
- (ii). देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन
GNP \checkmark \rightarrow GDP \times

उदाहरण – वित्तीय वर्ष के समय देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य ₹ 80,000/- है देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/- तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 1,500/- है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल –



उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 50,000/- देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 10,000/- तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 15,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – $\text{GNP} = \text{GDP} + X - M$

$= 50,000 + 10,000 - 15,000$ $= 45,000$	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">GDP = 50,000</div> देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन	विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन (X)
--	--	--

नोट – GDP तथा GNP के मध्य अंतर –

- (i). $\text{GDP} = \text{GNP} \rightarrow X = M$ बंद अर्थव्यवस्थाओं में (आयात-निर्यात पर प्रतिबंध)
- (ii). $\text{GDP} > \text{GNP} \rightarrow X < M$ यदि विदेशों में प्राप्त आय ऋणात्मक हो (NFIA) (विकासशील देशों में)
- (iii). $\text{GNP} > \text{GDP} = X > M$ (यदि विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय धनात्मक हो (NFIA) (विकसित देशों में)
- (iv). $\text{GNP} - \text{GDP} =$ विदेशों से प्राप्त शुद्ध
 \rightarrow ऋणात्मक \rightarrow देश का कम \rightarrow धनात्मक \rightarrow देश का अधिक
- (v). $\text{GNP} - (\text{GDP} + \text{NFIA})$
 $\text{GNP} = (\text{GDP} \pm \text{NFIA})$

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य ₹ 20,000/- देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 17,000/- है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगी ?

हल – GNP = 20,000	GDP = 20,000
GDP > GNP = 3000 (-) ऋणात्मक	GNP = 17,000
GNP = 17,000	GDP > GNP (-)

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/- है। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 5,000/- तथा विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 8,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि क्या होगी ?

हल – GNP = 20,000 – 8,000 + 5,000	5,000	देश	
= 17,000	8,000	विदेश	
GDP = 20,000	(-) 3,000		
GNP = 17,000			
GDP > GNP (विकासशील देशों में)			

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कम्पनी द्वारा कुल तथा अंतिम मूल्य ₹ 30,000/- है भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन ₹ 5,000/- तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन ₹ 3,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – GNP = 30,000 + 5,000 – 3,000	5,000	देश	
= 32,000	3,000	विदेश	
	(+) 2,000	विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय	
GNP > GDP (विकसित देशों में)			
32,000 > 30,000			

शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product-NDP)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की राशि को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है।

NDP = GDP – Depreciation (मूल्यह्रास)

नोट – सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है।

GDP – NDP = Depreciation

GDP > NDP = अंतर – मूल्यह्रास

नोट – शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने हेतु भौतिक सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की दर का निर्धारण प्रतिवर्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP)

- जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी अर्थात् मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहलाता है।

NNP = GNP – Depreciation

NNP = GDP + X – M – Depreciation


नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है।

GDP → देश की भौगोलिक सीमा

GDP-Depreciation = NDP

GNP → देश के नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन

GNP-Depreciation = NNP




उदाहरण – निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2018-19 की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) की राशि क्या होगी ?

- (i) X जो भारतीय कम्पनियों है, उसके द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, ₹ 30,000/- → GDP
- (ii) विदेशी कम्पनियों के द्वारा भारत में किए गए उत्पादन का मूल्य ₹ 20,000/- → GDP
- (iii) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में किए गए उत्पादन का मूल्य ₹ 10,000/- → GNP
- (iv) पूँजीगत संपत्तियों के मूल्यों में कमी की राशि (Dep.) → 5,000/-

$$\begin{aligned}
 \text{हल - NNP} &= 30,000 + 10,000 - 5,000 \\
 &= 35,000 \\
 \text{GDP} &= 50,000 \\
 \text{GNP} &= 40,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{GDP} &= 30,000 + 20,000 \\
 &= 50,000 \\
 \text{GNP} &= \text{GDP} + X - M \\
 &= 50,000 + 10,000 - 20,000 \\
 &= 40,000 \\
 \text{NNP} &= \text{GNP} - \text{Dep.} \\
 &= 40,000 - 5,000 \\
 &= 35,000
 \end{aligned}$$



NNP at FC = शुद्ध राष्ट्रीय आय

$$\frac{\text{शुद्ध राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times \text{प्रति व्यक्ति आय}$$

प्रति व्यक्ति आय = देश की आर्थिक वृद्धि का सूचक मानी जाती है।

बाजार मूल्य तथा साधन लागत की अवधारणा


- (i) जब किसी वस्तु तथा सेवा की साधन लागत (FC) में अप्रत्यक्ष कर (IDT) को जोड़ा जाए या सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को घटाया जाता है, तो वह उस वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य कहलाता है।

बाजार मूल्य = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर - आर्थिक सहायता						
MP	=	FC	+	IDT	-	Subsidy

उदाहरण – वर्ष 2018-19 में देश में उत्पादित वस्तु की साधन लागत (FC) ₹ 1,000/- है। अप्रत्यक्ष कर (IDT) = ₹ 300/- तथा सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता ₹ 100/- है, तो उत्पादित मूल्य क्या होगा ?

$$\begin{aligned}
 \text{हल} - \text{MP} &= \text{FC} + \text{IDT} - \text{Subsidy} \\
 &= 1000 + 300 - 100 \\
 &= ₹ 1200/-
 \end{aligned}$$


नोट – बाजार मूल्य हमेशा साधन लागत से अधिक होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर शामिल होने की वजह से –



(ii) जब किसी उत्पादित वस्तु के बाजार मूल्यों में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाए तथा सरकार से प्राप्त सहायता को जोड़ दिया जाता है, तो वह वस्तु की साधन लागत कहलाती है।

$$\begin{aligned}
 \text{साधन लागत} &= \text{बाजार मूल्य} - \text{अप्रत्यक्ष कर} + \text{आर्थिक सहायता} \\
 \text{FC} &= \text{MP} - \text{IDT} + \text{Subsidy}
 \end{aligned}$$

उदाहरण – वर्ष 2018–19 में उत्पादित वस्तु का बाजार मूल्य ₹ 2,000/- है। अप्रत्यक्ष कर ₹ 300/- तथा आर्थिक सहायता ₹ 100/- है, तो उस वस्तु की गणना लागत क्या होगी?



नोट – उत्पादित वस्तु तथा सेवा के बाजार मूल्य (MP) तथा साधन लागत (FC) का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT) कहलाता है।


$$\begin{aligned}
 \text{MP} - \text{FC} &= \text{Net Indirect Tax} \\
 \text{MP} &= \text{FC} + \text{Net Indirect Tax} \\
 \text{FC} - \text{MP} &= \text{Net Indirect Tax}
 \end{aligned}$$

$MP > FC$

उदाहरण – $MP = 1000$ ← $FC = 800$ ← 200 शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at FC)

• जब बाजार मूल्यों पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया तथा सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ा जाता है, तो प्राप्त आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है।



राजस्थान में पशु नस्ल

गौवंश

- सर्वाधिक – उदयपुर/बीकानेर में है।
- न्यूनतम – धौलपुर में है।

1. राठी नस्ल

- गंगानगर/हनुमानगढ़ जिले में मिलती है।
- मिश्रित नस्ल (लाल सिंधी + साहीवाल)
- यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल
- इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं।

2. थारपारकर

- मूल स्थान—सिंध प्रदेश (पाकिस्तान) है।
- पश्चिमी मरुस्थलीय जिले—
- जैसलमेर पायी जाती है।
- बाड़मेर पायी जाती है।
- राजस्थान में सर्वाधिक पायी जाने वाली नस्ल है।
- डेयरी विकास के लिए उपयुक्त है।

3. कांकरेज नस्ल

- मूल स्थान – काठियावाड़—गुजरात है।
- द.पश्चिमी राजस्थान में जालौर, बाड़मेर, पाली, सिराही शामिल है।

4. सांचौरी नस्ल

- मूल स्थान – सांचौर (जालौर) है।
- बैल के लिए

5. नागौरी नस्ल

- मूल स्थान – सुहालक क्षेत्र (नागौर) है।
- बैल (तेज दौड़ना)

6. हरियाणवी नस्ल

- मूल स्थान – रोहतक (हरियाणा) है।
- राजस्थान में चूरू, सीकर, झुंझुनूँ, जयपुर, हनुमानगढ़ जिले हैं।

7. मेवाती नस्ल

- मूल स्थान – मेवात (हरियाणा) है।
- अलवर, भरतपुर जिले में पायी जाती है।
- काठी नस्ल (भरतपुर) में

8. मालवी नस्ल

- मूल स्थान – मालवा प्रदेश (मध्य प्रदेश) है।
- राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बूँदी, बाँरा जिले हैं।

9. गिर नस्ल

- मूल स्थान – गिर (गुजरात) है।
- अजमेर के आसपास पायी जाती है।

10. जर्सी नस्ल

- अमेरिका (USA) की है।

बजट में प्रावधान

बजट 2019–20

- जोधपुर में राज्य का दूसरा पशु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है।

बजट 2020–21

- 4000 पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा

भैंस

- सर्वाधिक – अलवर/जयपुर में पायी जाती है।
- न्यूनतम – जैसलमेर में पायी जाती है।

नस्लें

1. मुर्दा नस्ल

- खुण्डी नस्ल/कुन्नी नस्ल कहते हैं।
- यह राजस्थान में सर्वाधिक पायी जाने वाली नस्ल है।
- यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, उदयपुर में पायी जाती है।

2. सुरती नस्ल

- मूल स्थान – सूरत (गुजरात) है।
- दक्षिणी—पश्चिमी जिलों में मिलती है।

3. नागपुरी नस्ल

- मूल स्थान – नागपुर (महाराष्ट्र) है।
- यह दक्षिणी राजस्थान में मिलती है।

4. जाफराबादी नस्ल

- मूल स्थान – कच्छ (गुजरात) है।
- यह दक्षिणी—पश्चिमी जिलों में मिलती है।

5. भदावरी नस्ल

- मूल स्थान – यमुना घाटी उत्तरप्रदेश है।
- पूर्वी राजस्थान में पायी जाती है।

6. रथ नस्ल

- मूल स्थान – यमुना घाटी उत्तरप्रदेश है।
- पूर्वी राजस्थान में पायी जाती है।

भेड़

सर्वाधिक – बाड़मेर में तथा न्यूनतम–बाँसवाड़ा में पायी जाती है।

नस्ल

1. मालपुरी नस्ल
 - मलपुरा (टोंक) में पायी जाती है।
 - मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है।
2. मारवाड़ी नस्ल
 - यह जोधपुर में (जोधपुर के आस-पास) पायी जाती है।
3. जैसलमेरी नस्ल
 - जैसलमेर में होती है।
 - यह सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है।
4. शेखावटी नस्ल
 - शेखावटी क्षेत्र में (सीकर, झुँझुनूँ, चुरू) पायी जाती है।
 - यह सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल है।
 - इसे भारतीय मेरिनॉ कहते हैं।
5. पुंगल नस्ल
 - बीकानेर में पायी जाती है।
6. मगरा नस्ल
 - बीकानेर में पायी जाती है। बीकानेरी चोकला/चकरी कहते हैं।
7. सोनाड़ी नस्ल
 - दक्षिणी राजस्थान में पायी जाती है।
 - बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले आते हैं।
 - यह सबसे लम्बे कान वाली नस्ल है।
8. खेरी नस्ल
 - जोधपुर, पाली, सिरोही में पायी जाती है।
9. नाली नस्ल
 - गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलो में मिलती है।

बकरी

- सर्वाधिक–बाड़मेर में तथा न्यूनतम–धौलपुर में पायी जाती है।

नस्ल

1. मारवाड़ी/लोही नस्ल
 - जोधपुर के आस-पास मिलती है।
 - यह माँस के लिए प्रसिद्ध है।

2. बारबरी नस्ल

- पूर्वी राजस्थान में मिलती है।
- सबसे सुन्दर नस्ल कहते हैं।
- वरुण गाँव (नागौर)

3. सिरोही नस्ल

- सिरोही में पायी जाती है।

4. शेखावटी नस्ल

- शेखावटी क्षेत्रों में मिलती है।

5. जमनापुरी नस्ल

- दक्षिणी पूर्वी जिलों में पायी जाती है।

6. जखराना/अलवरी नस्ल

- अलवर में मिलती है।

7. परबतसरी नस्ल

- परबतसर (नागौर) में पायी जाती है।

ऊँट

- इसे 30 जून, 2014 को राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया।
- सर्वाधिक – जैसलमेर में
- न्यूनतम – प्रतापगढ़ में

अश्व (घोड़ा)

- सर्वाधिक – बीकानेर में
- न्यूनतम – डूंगरपुर में
- ठसकी प्रमुख नस्ले निम्न है –
- मलाणी नस्ल
- मारवाड़ी नस्ल
- काठियावाड़ी नस्ल

कुक्कूट (मुर्गी पालन)

- सर्वाधिक – अजमेर में
- न्यूनतम – जालौर में
- विदेशी मुर्गी – अजमेर में मिलती है।
- देशी मुर्गी – बाँसवाड़ा (कड़कनाथ) में मिलती है।